सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 75/17 **निर्णय दिनांक– 23.05.2018**

1.	पेमाराम	पिसरान चिमनाराम पुत्र गणेशाराम	जाति सुथार निवासीगण फूलासर तह. कोलायत जिला बीकानेर।
2.	रेवन्तराम		
3.	मोहनी		
4.	गीता		
5.	नेनू		
6.	गुड्डी		
7.	रामी पत्नी स्व. चिमनाराम		
8.	सुरजी	पुत्रियॉ गणेशाराम	
9.	अणची		
10.	समदा		
11.	रमकू		

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 06–05–1985
उपायुक्त उपनिवेशन इगानप, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री बहादुरराम सुथर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन इगानप, बीकानेर के निर्णय दिनांक 06–05–1985 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता के

कब्जेशुदा भूमि को एकतरफा तौर पर आबादी एवं नर्सरी के लिए आरक्षित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट संख्या 1 ता 7 के पति/पिता एवं अपीलांट संख्या 8 ता 11 की संयुक्त खाते की पुश्तैनी भूमि वाके ग्राम गोगड़ियावाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 141 में तादादी 57 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि स्थित है जो मुताबिक भूप्रबन्ध विभाग सेटलमेंट संवत् 2012 से गणेशाराम पुत्र जोधाराम जांगिड़ ब्राहमण के नाम से दर्ज थी। गणेशाराम का देहान्त होने के उपरान्त उक्त कृषि भूमि जरिये विरासतन अपीलांट संख्या 1 ता 7 के पति/पिता व 8 ता 11 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि उपनिवेशन विभाग में आने पर व चकबन्दी में आने पर चक 3 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 48/29 के किला नम्बर 10 ता 12, 18 ता 22 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में 8 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 48/22 के किला नम्बर 2 ता 15, 19, 20 में 16 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/30 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/28 के किला नम्बर 22, 23 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/29 के किला नम्बर 2, 3, 7 ता 9, 13, 14 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/28 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 25 में 9 बीघा, किला नम्बर 48/29 के किला नम्बर 4 में 1 बीघा कुल 57 बीघा पैमूद हुई। उक्त भूमि पर अपीलांट संवत् 2012 से निरन्तर काबिज काश्तकार है।

अपीलांट्स की उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में कुल 7 बीघा कुल 14 बीघा भूमि जो अपीलांट के कब्जे

काश्त में थी तथ मौके पर मुंगफली की फसल खड़ी थी, उक्त भूमि पटवारी हल्का ग्राम पंचायत फूलासर द्वारा दिनांक 18—05—2017 को अवगत कराया कि उक्त भूमि चक 3 केएचडी आबादी में आ गई है। अपीलांट उक्त भूमि का कब्जा छोड़ देवें। अपीलांट द्वारा आपत्ति की गई कि उक्त भूमि हमारी पुश्तैनी भूमि है व हमें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही भूमि आवप्ति की कार्यवाही व बिना मुआवजा दिये बिना आबादी में कैसे दर्ज की गई। इस पर पटवार हल्का द्वारा बताया कि यदि उक्त भूमि आपकी पुश्तैनी भूमि है तो संबंधित विभाग से कागजात निकलवाकर कार्यवाही करें अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि पर पट्टे काट दिये जायेंगे।

अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् कागजात निकलवाये गये तो ज्ञात हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06—05—1985 को 32 आबादियों व नर्सरी की भूमि आरक्षित की गई है। जिसमें अपीलांट के धारण की भूमि चक 3 केएचडी 8/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में कुल 7 बीघा कुल 14 बीघा भी बिना मौका निरिक्षण किये ना ही संबंधित नगर नियोजक व तहसीलदार कोलायत से मौका निरिक्षण करवाये व बिना रिकार्ड देखे अपीलांट की पुरानी पुश्तैनी भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने के प्रस्ताव दिनांक 11—01—1985 को भेज दिये गये। जिसे सही मानकर दिनांक 06—05—1985 को ही आगादी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक रीडर/विकास/85/1574 दिनांक 06—05—1985 में यह अंकित किया गया है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत, सहायक नगर नियोजक/अभियन्ता तथा संबंधित उपनिवेशन तहसीलदारों द्वारा संयुक्त रूप से कोलायत उपखण्ड में आबादियों एवं नर्सरी प्रस्तावित करने के लिए मौका निरिक्षण किया गया तथा एतद् द्वारा संलग्न सूची के अनुसार कुल 32 आबादियों व नर्सरी के लिए भूमि का आरक्षण किया जाता है। उक्त स्वीकृति राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 का प्रयोग करते हुए की जाती है। जिसमें पत्र क्रमांक रीडर/विकास/85/1576—81 दिनांक

06—05—1985 को उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1, 2, 3, 4 को प्रेषित कर लिखितबद्व किया गया कि आबादी/नर्सरी के लिए आरक्षित भूमि यदि पूर्व में किसी खातेदार/गैरखातेदार/आवंटी की हो तो तुरन्त संबंधित सहायक आयुक्त उपनिवेशन को सूचित कर भूमि आवप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कराई जाकर आरक्षित भूमि का विस्तृत विवरण कमाण्ड/अनकमाण्ड किलेवार सहित भिजवावें।

अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना नहीं की गई। वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर उक्त भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही कोई मुआवजा ही आज दिनांक तक प्राप्त किया गया। वादगत् भूमि पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है।

अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह जॉच की जानी चाहिए थी कि मौके की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। यदि वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष समस्त स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि वर्तमान में वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा मौके पर उसका कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वर्तमान खातेदार को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलाधीन आदेश से उसके हित प्रभावित हुए है।

अदालत मातहत द्वारा बिना माईण्ड एप्लाई किये जिस अधिसूचना/परिपत्र का हवाला देते हुए वादगत् भूमि को अवाप्त किया गया है उक्त अधिसूचना/परिपत्र प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होता है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपने अपने आदेश में माना है कि यदि आरक्षित की गई भूमि पूर्व में किसी खातेदार/गैरखातेदार/आवंटी की हो तो उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान कर कार्यवाही की जावे। इस प्रकार अदालत मातहत का स्वयं का आदेश विरोधाभासी आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम जब हल्का पटवारी अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि आये व सूचित किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि आबादी दर्ज कर दी गई है। उन्होंने मियांद के बिन्दु पर आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा बिना देरी के जानकारी से यह अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। मियांद कन्डोन के लिए धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—05—1985 के विरूद्व अपील दिनांक 10—07—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 32 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे संबंधित पटवारी के कथन पर कि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि रिकार्ड में आबादी अंकित कर दी गई है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन मनगढ़त एवं बनावटी है। जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वर्ष 1985 से 2017 तक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना उसकी लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है। अपीलांट अपनी लापरवाही का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में वादगत् भूमि के साथ—साथ 32 आबादियों व नर्सरी के लिए भूमि आरक्षण की कार्यवाही की गई है। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक रीडर/विकास/85/1574 दिनांक 06—05—1985 में यह अंकित किया गया है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत, सहायक नगर नियोजक/अभियन्ता तथा संबंधित उपनिवेशन तहसीलदारों द्वारा संयुक्त रूप से कोलायत उपखण्ड में आबादियों एवं नर्सरी प्रस्तावित करने के लिए मौका निरिक्षण किया गया तथा एतद् द्वारा संलग्न सूची के अनुसार कुल 32 आबादियों व नर्सरी के लिए भूमि का आरक्षण किया जाता है। उक्त स्वीकृति राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 का प्रयोग करते हुए की जाती है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। वादगत् भूमि अपीलांट की ना तो खातेदारी/गैरखातेदारी भूमि है ना ही वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक किस प्रकार पैदा होते है स्पष्ट नहीं है। यदि वादगत् भूमि अपीलांट् की संवत् 2012 से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को संबंधित न्यायालय में दावे के माध्यम से चाराजोई करनी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 3 के.एच.डी. के मुरब्बा नम्बर 48/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में कुल 7 बीघा कुल 14 बीघा आबादी हेतु आरक्षित किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स संख्या 1 ता 7 के पति/पिता व अपीलांट्स संख्या 8 ता 11 की सुयक्त

खाते की पुश्तैनी भूमि वाके ग्राम गोगड़ियावाला तहसील कोलायक के खसरा नम्बर 141 में तादादी 57 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि स्थित है जो उपनिवेशन विभाग में आने पर व चकबन्दी में आने पर चक 3 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 48/29 के किला नम्बर 10 ता 12, 18 ता 22 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में 8 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 48/22 के किला नम्बर 2 ता 15, 19, 20 में 16 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/30 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/28 के किला नम्बर 22, 23 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/29 के किला नम्बर 2, 3, 7 ता 9, 13, 14 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 48/28 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 25 में 9 बीघा, किला नम्बर 48/29 के किला नम्बर 4 में 1 बीघा कुल 57 बीघा पैमूद हुई। अपीलांट्स वादगत् भूमि पर संवत् 2012 से निरन्तर काबिज काश्तकार है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, निर्देशों एवं आदेशों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 3 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 48/21 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा व किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 18 व 22 में कुल 7 बीघा कुल 14 बीघा आबादी हेतु आरक्षित किये जाने के साथ—साथ अन्य 32 भूमियों को आबादी व नर्सरी हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 92 का प्रयोग करते हुए प्रसारित किये गये है।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि सवंत् 2012 से पूर्व उसके कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश प्रसारित किये जाने चाहिए थे। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यदि अपीलांट के उक्त कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व के उसके कब्जे काश्त की भूमि है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को सक्षम न्यायालय में वादगत् भूमि के बाबत् धोषणात्मक वाद प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए

थी। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है।

(5) प्रकरण में अपीलांट् ने स्वयं माना है कि वादगत् भूमि उनक कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर संवत् 2012 से पूर्व उनका कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना कि यदि आबादी/नर्सरी के लिए आरक्षित भूमि यदि पूर्व में किसी खातेदारी/गैरखातेदारी/आवंटित भूमि हो तो सूचित कर भूमि आवप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। ऐसी स्थिति में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के अधिग्रहण की दिनांक को वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी/गैरखातेदारी भूमि नहीं होकर वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि थी। जिस पर उसे अपने अधिकारों की धोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में धोषणात्मक वाद प्रस्तुत करते हुए अपने अधिकारों की धोषणा करवानी चाहिए थी।

(6) वादगत् भूमि अपीलांट की ना तो खातेदारी/गैरखातेदारी भूमि है ना ही वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक किस प्रकार पैदा होते है स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों की धोषणा करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

(7) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—05—1985 के विरूद्व अपील दिनांक 10—07—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब बत्तीस वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे संबंधित पटवारी के कथन पर कि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि रिकार्ड में आबादी अंकित कर दी गई है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई।

अपीलांट का उक्त कथन स्पष्ट रूप से मनगढ़त एवं बनावटी प्रतीत होता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना—देना नहीं है। वर्ष 1985 से 2017 तक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना अपीलांट्स की लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपील मियांद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाकर उपायुक्त उपनिवेशन इगानप, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—05—1985 को यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर